मध्यप्रदेश शासन
पर्यटन विभाग
मंत्रालय
::आदेश::

भोपाल, दिनांक 30/09/2016

क्रमांक एफ 10-05/2016/तैंतीस : राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में पर्यटन को सुनिश्चित करने हेतु जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् की निम्नानुसार भूमिका हेतु स्वीकृति प्रदान करता है:-

1. जिले में पर्यटन की संभावनाओं का पूर्ण दोहन करने हेतु विभिन्न शासकीय विभागों/स्थानीय स्वशासी संस्थाओं, स्वयं सेवी संगठनों तथा पर्यटन से जुडे हुये हितधारियों (Stake Holders) (यथा होटल व्यवसायी, टूर ऑपरेटर, एजेंट, गाईड) आदि के बीच समन्वय स्थापित करना।

2. जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष आयोजन यथा- एडवेंचर एवं नेचर कैम्प, संस्कृति महोत्सव, फूड फेस्टिवल, विद्यार्थियों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं आदि आयोजित करना।

3. निजी भागीदारी से तैयार स्थानीय उत्पादों का पर्यटन की दृष्टि से मार्केटिंग करना।

4. पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानीय उत्पादों/सेवाओं की गुणवत्ताओं में सुधार के लिए विशेष प्रयास करना यथा मानकीकरण, प्रशिक्षण आदि।

5. स्थानीय संसाधनों की सहायता से स्थानीय स्तर के पर्यटन स्थलों पर सूचना-पटल (Signage) /पेयजल/शौचालय/ पार्किंग आदि की सुविधाएं जुटाना।

6. पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा एवं रख-रखाव करना।

7. निजी निवेशकों को पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करना एवं उन्हें राज्य की पर्यटन नीति के तहत हर संभव सहयोग प्रदान करना।

8. प्रत्येक वर्ष जिले का पर्यटन कैलेन्डर तैयार करना।

9. स्थानीय पर्यटक स्थलों के प्रबंधन एवं रख-रखाव हेतु स्थानीय निकायों को सहयोग प्रदान करना एवं अधिकृत किये जाने पर पारदर्शी प्रक्रिया से निजी क्षेत्र को सौंपना, शुल्क आदि निर्धारित करना एवं प्राप्त करना।

10. पर्यटन विकास एवं पर्यटक स्थलों के रख-रखाव, पर्यटक सुविधाओं की स्थापना आदि के लिये सांसद निधि, विधायक निधि, जनभागीदारी निधि, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी अंतर्गत कंपनियों से एवं अन्य दान-दाताओं से राशि/अनुदान प्राप्त करना एवं कार्य कराना।

11.पर्यटन स्थलों पर स्थानीय सुविधाओं के विकास प्रबंधन एवं संधारण हेतु संबंधित एजेंसी यथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य पुरातत्व, वन विभाग आदि को आवश्यक सहयोग प्रदान करना एवं अधिकृत किए जाने पर स्वयं एजेंसी के रूप में कार्य करना।

12.अपने क्षेत्रांतर्गत स्थानीय पर्यटन विकास हेतु टूरिज्म मास्टर प्लान बनाना।

13. राज्य की पर्यटन नीति के क्रियान्वयन एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किये जाने वाले कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

14. पर्यटन विकास से संबंधित अन्य कार्य जिनकी पर्यटन विभाग द्वारा अपेक्षा की जाये, का संपादन करना।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(हरि रंजन राव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग

पृ०क्र० एफ 10-05/2016/तैंतीस भोपाल, दिनांक 30/09/2016

प्रतिलिपि:-
1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभाग।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।